फायर टेक्नीशियन कोर्स के फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था का निदेशक गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी ने फायर टेक्नीशियन, फायरमैन और लाइब्रेरियन कोर्स की बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी करने वाली निजी संस्था भारत समाज सेवक (बीएसएस) इंस्टीट्यूट, चेन्नई के निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को एसओजी की टीम चेन्नई से गिरफ्तार कर जयपुर लाई है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, विशेषकर फायरमैन और लाइब्रेरियन भर्ती में फर्जी डिग्रियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान भारत समाज सेवक (बीएसएस) संस्थान संदिग्ध पाया गया। प्रारंभिक स्तर पर पटवारी भर्ती से जुड़ी शिकायतों की भी जांच की गई, लेकिन वहां गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद जांच का फोकस फायरमैन भर्ती पर किया गया, जहां बीएसएस

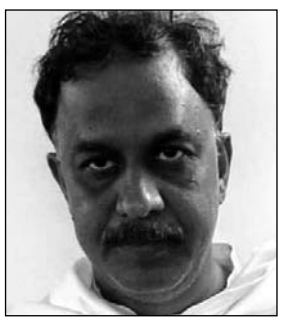

निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन

संस्थान से बैकडेट में डिग्रियां जारी होने के ठोस सबूत सामने आए।

एसओजी ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर हिंडौन (करौली) स्थित एएस फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट के संचालक श्यामवीर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में सामने आया कि यह संस्थान बीएसएस से एफिलिएटेड है। इसके बाद एसओजी ने बीएसएस के चेन्नई और दिल्ली स्थित कार्यालयों की तलाशी ली, जहां बड़ी संख्या में बैकडेट में जारी की गई डिग्रियों और प्रमाण-पत्रों से

■ **फायरमैन और लाइब्रेरियन कोर्स की बैक डेट में फर्जी डिग्रियां जारी करने वाली निजी संस्था भारत समाज सेवक (बीएसएस) इंस्टीट्यूट, चेन्नई के निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन को गिरफ्तार किया**

जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। सबूत जुटाने के बाद कोर्ट से वारंट प्राप्त कर बीएसएस के निदेशक अरुल ग्नाना मोइसन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया।

एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि भारत समाज सेवक (बीएसएस) संस्थान को यूजीसी या किसी भी वैधानिक संस्था से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद यह संस्थान वॉकेशनल कोर्स के नाम पर फायरमैन, फायर टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन सहित कई कोर्सेज की डिग्रियां जारी कर रहा था।

जांच में सामने आया कि बीएसएस ने फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करते हुए देशभर में अपने नेटवर्क का विस्तार किया। संस्था से करीब 10 हजार इंस्टीट्यूट जुड़े, जिनमें से लगभग 7 हजार अभी सक्रिय हैं। इन संस्थानों और दलालों के माध्यम से हजार से अधिक कोर्सेज की डिग्रियां ऑन-डिमांड जारी की जाती थीं।पड़ताल में यह भी सामने आया कि हर इंस्टीट्यूट का एक दलाल होता था, जो अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर उनकी जानकारी बीएसएस कार्यालय भेजता था। इसके बाद मांगी गई तारीख के अनुसार बैक डेट में डिग्री और प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाते थे।एसओजी अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं।

एसओजी ने आमजन और नियोजक संस्थाओं से अपील की है कि किसी भी डिग्री या प्रमाण-पत्र के आधार पर चयन से पहले उसका पूर्ण और विधिवत सत्यापन अवश्य करें।

आरपीएससी सचिव बताए नोटिस तामील के बाद भी पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित क्यों नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 से जुड़े मामले में आरपीएससी सचिव को 8 जनवरी को सुनवाई के दौरान वीसी से जुडने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि इस दौरान सचिव सभी जरूरी दस्तावेज भी साथ रखे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सृष्टि सिंघल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में नोटिस जारी करने के बाद उनकी तामील में हो चुकी है, लेकिन आयोग की ओर से कोई पेश नहीं हुआ और केस के ओआईसी भी हाजिर नहीं हुए। ऐसे में आयोग सचिव इस संबंध में अपना उचित स्पष्टीकरण दें।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर

■ **आरपीएससी सचिव को 8 जनवरी को सुनवाई के दौरान वीसी से जुडने के आदेश दिए**

अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 180 पदों भर्ती निकाली थी। जिसमें मुख्य परीक्षा में करीब तीन हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं आयोग ने इनमें से सिर्फ 4 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया और आयोग के परिणाम के अनुसार अन्य अभ्यर्थी न्यूनतम अनिवार्य चालीस फीसदी अंक भी नहीं ला सके। याचिका में कहा गया कि भर्ती परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जिन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में चालीस फीसदी से अधिक अंक हासिल किये थे। आरजेएस परीक्षा सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा से कहीं अधिक कठिन परीक्षा मानी जाती है। इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में असफल कर दिया गया।

याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से जारी यह परिणाम मनमाना, अव्यावहारिक और संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। याचिका में आशंका जताई गई है कि परीक्षा के मूल्यांकन में त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर और अत्यधिक कठोर अंकन कर मषीनी अंदाज में कॉपियां जांची गई है। ऐसे में परीक्षा परिणाम को रद्द कर नए सिरे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर संशोधित परिणाम जारी किया जाए।

1.25 लाख की अवैध शराब जब्त

जयपुर। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी के जरिए उदयपुर से आनंद (गुजरात) भेजी जा रही करीब 1 लाख 25 हजार रुपये मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। तस्कर शराब को कलर पेंट की बाल्टियों पर पशु आहार का लेबल लगाकर सील पैक कर ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से भेज रहे थे। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल मे जुटी है।पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करन शर्मा ने बताया कि पुलिस को जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी में संदिग्ध सामग्री की सूचना मिली थी। इस पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर प्रथम नीरज पाठक के सुपरविजन और सहायक पुलिस आयुक्त आमेर सुरेंद्र सिंह राणावत के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई की गई। इसके बाद थानाधिकारी राजेश गौतम के नेतृत्व में उप निरीक्षक जगदीश नारायण के साथ हैड कांस्टेबल संजय जाखड़, उमेश चंद , प्रदीप , सुरेश और कांस्टेबल रलीराम की टीम गठित की गई।

पांच आरोपित गिरफ्तार

जयपुर। चित्रकूट थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि इन आरोपियों को दुबई से संचालित नंबरों के माध्यम से सट्टेबाजी के लिए आईडी (लाइन) उपलब्ध करवाई जा रही थी। पुलिस अब इस मामले में दुबई कनेक्शन की भी गहन जांच कर रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए

अजमेर निवासी साहिल खान के साथ नागौर निवासी इब्राहिम खान, दौलत अली, इमरान खान और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके साथ एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के पास से 50 से अधिक बैंक खाते मिले हैं। जिनमें सट्टेबाजी की रकम ट्रांसफर की जा रही थी। पुलिस ने इन खातों में करीब दो लाख रुपये की रकम होल्ड भी करवा दी है।

मनरेगा पर आलाकमान की भाषा बोल रहे सीएम : टीकाराम जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मनरेगा को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। जूली ने कहा कि सीएम का मनरेगा के बदले हुए प्रावधानों का समर्थन करना राजस्थान के ग्रामीण परिवेश और गरीब वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। यह विडंबना है कि जिस पंचायती राज व्यवस्था से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले भजनलाल शर्मा से गांवों को उम्मीद थी, वे आज ग्राम सभाओं के अधिकारों का गला घोंटने वाली योजना के ब्रांड एंबेसडर बन गए हैं।

■ **जूली ने कहा कि, जिस व्यवस्था ने उन्हें पहचान दी, आज उसे ही कमजोर करने में वे केंद्र का सक्रिय हिस्सा बन रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद नहीं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात है। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री स्वयं ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद दिल्ली के आलाकमान की भाषा बोल रहे हैं**

जूली ने कहा कि, जिस व्यवस्था ने उन्हें पहचान दी, आज उसे ही कमजोर करने में वे केंद्र का सक्रिय हिस्सा बन रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद नहीं, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात है। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री स्वयं ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद दिल्ली के आलाकमान की भाषा बोल रहे हैं। वे राजस्थान के हितों की रक्षा करने के बजाय केवल दिल्ली के संदेशवाहक बनकर रह गए हैं।

जूली ने कहा कि, अब तक मनरेगा का खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब इसे 60:40 के अनुपात में बांटकर राज्यों पर 40 प्रतिशत फंड का बोझ डालना तानाशाही है। इससे राजस्थान के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और राज्य का खजाना खाली होगा। यह सीधे तौर पर संघीय ढांचे को नष्ट करने की साजिश है।

जूली ने कहा- वीबी जी राम जी केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि मनरेगा के मूल सिद्धांतों पर हमला है। मनरेगा एक कानूनी अधिकार था, जबकि नई योजना इसे केंद्र की मर्जी पर निर्भर बनाना चाहती है। मनरेगा ने गांवों में रोजगार देकर पलायन रोका और महिलाओं को आर्थिक संबल दिया। भाजपा को गांधी और मनरेगा, दोनों खटकते हैं, इसलिए इस हक को छीनने की साजिश रची गई है।जूली ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री दिल्ली की कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश के गरीब मजदूरों के हक की बलि चढ़ा देंगे? उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी नीति का सदन से लेकर सड़क तक कड़ा विरोध करेगी।

ड्रोन व पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध

जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी शास्त्री नगर में 10 जनवरी 2026 को प्रस्तावित वीवीआईपी के आगमन कार्यक्रम को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस अकादमी क्षेत्र के आसपास ड्रोन और पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

सरकार के प्रार्थना पत्र पर निचली अदालत करे फैसला

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में कहा है कि निचली अदालत राज्य सरकार के उस प्रार्थना पत्र पर फैसला करे, जिसमें उसने अभियोजन वापसी के आवेदन में कार्रवाई नहीं चाहते हुए यह केस आगे चलाने की मंजूरी मांगी है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में निचली कोर्ट के समक्ष एक औपचारिक प्रार्थना पत्र दायर किया है। इसलिए इस मुद्दे पर निर्णय निचली कोर्ट की ओर से कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने यह आदेश शांति धारीवाल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी एएसजी एसवी राजू व एएजी शिवमंगल शर्मा ने और विशेष अभियोजक अनुराग शर्मा ने की। एएजी शिवमंगल शर्मा ने बते गाया कि हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद यह भी स्पष्ट हो चुका है कि अब निचली कोर्ट के आदेश के बाद ही तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, उपायुक्त निष्काम दिवाकर और जोन उपायुक्त रहे ओंकारमल सैनी की रिवीजन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिसंबर 2025 के आदेश से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को राहत देते हुए राज्य सरकार को कहा था कि जब तक ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ पेंडिंग प्रोटेस्ट पिटिशन में फैसला नहीं हो तब तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने धारीवाल की एसएलपी को खारिज कर दिया था।

महिंद्रा की एक्सयूवी7एक्सओ और एक्सईवी9एस का अनावरण

जयपुर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में होटल जयपुर मैरियट में अपनी दो नई दमदार एक्सयूवी7एक्सओ और एक्सईवी9एस का भव्य लॉन्च किया। यह कार्यक्रम बेहद शानदार रहा, जिसमें मौजूदा और नए ग्राहकों की बड़ी संख्या ने हिस्सा लिया।

■ **इच्छुक ग्राहक इसे 14 जनवरी से बुक कर सकते हैं**

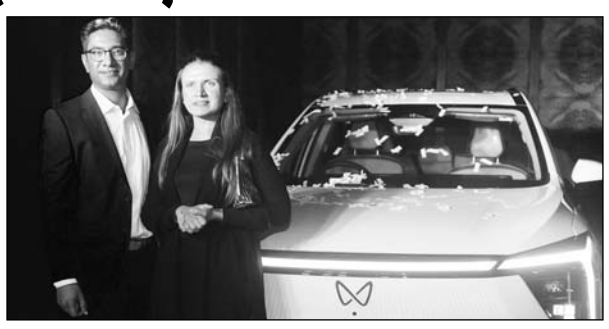

लॉन्च समारोह का उद्घाटन के एस मोटर्स के डीलर प्रिंसिपल के एस गहलोत, आराधना गहलोत ने किया ।

लॉन्च समारोह का उद्घाटन के एस मोटर्स के डीलर प्रिंसिपल के एस गहलोत, करण गहलोत व आराधना गहलोत, ऑटोवर्ल्ड के अनुपम सांखला तथा निकित शाह, आरएसएम महिंद्रा एंड महिंद्रा व अन्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में दोनों वाहनों का अनावरण किया गया, जिसके बाद ग्राहकों ने इनकी विशेषताओं को करीब से देखा और आनंद लिया।

एक्सयूवी7एक्सओ के इस नए मॉडल की शुरुआती क़ीमत पेट्रोल वेरीएंट के लिए 13.66 लाख रुपए और डीज़ल वेरीएंट के लिए 14.96 लाख रुपए रखी गई है। ये क़ीमतें पहले 40,000 ग्राहकों के लिए इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम हैं। नई एक्सयूवी7एक्सओ को पहले से ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन, अपडेटेड केबिन और कई नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इच्छुक ग्राहक इसे 14 जनवरी से बुक कर सकते हैं।

नई एक्सयूवी7एक्सओ को ग्राहक छह वेरीएंट्स में से चुन सकते हैं, जिसमें , 3, 5, 7, 7 और 7 शामिल हैं, जो चार इंजन ऑप्शन में आते हैं। इसके अलावा, इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है।

महिंद्रा की ई-एसयूवी लाइनअप में 9, 6 और 400 के साथ शामिल हो गया है। क़ीमत 19.95 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

महिंद्रा एक्सईवी9एस का डिज़ाइन इसे बाकी एसयूवीज़ से अलग बनाता है। इसमें एक ब्लैंक्ड-आउट ग्रिल, एल आकार के एलईडी डीआरएल्स, वर्टिकल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और फ्रंट फेशिया पर एक पिक्सल स्टाइल एलईडी लाइट बार मिलता है।

मनरेगा का नाम बदलने पर छिड़ा सियासी संग्राम

जयपुर। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना "मनरेगा" को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी सरकार द्वारा योजना का नाम बदलकर वीबी-जी-राम-जी करने और इसमें किए गए बदलावों के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान में कांग्रेस ने 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक के विरोध प्रदर्शनों का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है।

कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार नाम बदलकर और नियमों में बदलाव कर इस ऐतिहासिक योजना को कमजोर करना चाहती है। राजस्थान कांग्रेस ने इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाने की रणनीति बनाई है।

जहां एक तरफ कांग्रेस मनरेगा बचाओ के नारे के साथ सड़कों पर उतर रही है। वहीं बीजेपी ने भी वीबी-जी-राम-जी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है।

आने वाले दिनों में राजस्थान की

■ **राजस्थान में 10 जनवरी से कांग्रेस का हल्लाबोल**

राजनीति में यह मुद्दा शहर से लेकर गांव की चौपालों तक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में लंबे समय से फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार फल-फूल रहा था। फर्जी जॉब कार्ड सरपंचों के पास मिलते थे और मजदूरों के हक का पैसा बिचौलिए खा रहे थे।

नए कानून के जरिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाए हुए पारदर्शिता लाई गई है। सरकार ने रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं। राठौड़ ने कहा कि आजीविका मिशन के शब्दों को जोड़ने से यदि राम नाम बन गया, तो इस पर आपत्ति करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि 2004 से अब तक खर्च हुए कुल 11.74 लाख करोड़ रुपये में से 8.53 लाख करोड़ रुपये अकेले बीजेपी सरकार ने खर्च किए हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कलश यात्रा का किया शुभारंभ

जयपुर। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के निंदड़ में आयोजित होने जा रही जगद्गुरु परम आदरणीय स्वामी रामभद्राचार्य जी की दिव्य श्रीराम कथा एवं 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ से पूर्व बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सहभागिता निभाते हुए विधिवत पूजा-अर्चना के बाद कलश यात्रा को रवाना किया। कलश यात्रा कुकरखेड़ा मंडी से प्रारंभ होकर निंदड़ स्थित यज्ञ स्थल तक पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भक्ति और श्रद्धा के साथ यात्रा में भाग लिया। मार्ग में जगह-जगह भव्य स्वागत द्वार बनाए गए, वहीं जय श्रीराम के गगनभेदी जयघोष से पूरा क्षेत्र धर्ममय वातावरण से सराबोर हो गया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से परिपूर्ण इस कलश यात्रा में मातृशक्ति की अभूतपूर्व सहभागिता ने आयोजन को और भी दिव्य बना दिया है।उन्होंने इस भव्य एवं अनुकरणीय आयोजन के लिए समस्त आयोजक मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

सार-समाचार

विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन आज से

जयपुर । विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 8 व 9 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक संजीव कुमार नार्जरी राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने बताया कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा होंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव राजस्थान वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर ए.सावंत, उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा व जयपुर मुख्यालय पर पदस्थापित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा सभी रेंज आईजी, सभी जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा 12 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में किया गया। इसी क्रम में 60 वॉ राष्ट्रीय डीजी/आईजी पुलिस सम्मेलन नवम्बर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। जिसकी सिफारिशों के अनुक्रम में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में 02 दिन में दस सत्र आयोजित होंगे। जिनमें विकसित भारत में पुलिसिंग सम्बन्धी विषयों पर महत्वपूर्ण व्याख्यान होंगे।

जयपुर केंद्रीय कारागार में फिर मिला मोबाइल फोन

जयपुर। घाटगेट स्थित केंद्रीय कारागार में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल प्रशासन द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान जेल परिसर से मोबाइल फोन बरामद होने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची लाल कोठी थाना पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर उसके ईएमआई नंबर और सिम नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन ने वार्ड नंबर-7 की बैरक नंबर-3 में स्थित टॉयलेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टॉयलेट में छुपाकर रखा गया एक की-पैड मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ। इसके बाद जेल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना लालकोठी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेल कारापाल अशोक कुमार की रिपोर्ट पर अज्ञात बंदी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस अब बरामद मोबाइल फोन के ईएमआई नंबर और सिम कार्ड के माध्यम से यह पता लगाने में जुटी है कि मोबाइल किस बंदी का है और जेल के भीतर यह कैसे पहुंचा।

'कार्यकर्ता सुनवाई में आने वाले परिवादों के निस्तारण के लिए की जा रही है कार्यवाही'

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा कार्यकर्ता सुनवाई आयोजित की गई। इस कार्यकर्ता सुनवाई में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं, सुझाव एवं परिवाद मंत्री के समक्ष रखे।

■ **मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि परिवादों में से लगभग 66 प्रतिशत मामले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहे**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा कार्यकर्ता सुनवाई आयोजित का

कार्यकर्ता सुनवाई के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि आज प्राप्त कुल परिवादों में से लगभग 66 प्रतिशत मामले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रहे, जबकि शेष परिवाद अन्य विभागों से जुड़े थे। अन्य विभागों से संबंधित परिवादों को संबंधित मंत्रियों को भेज दिया गया है, ताकि उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि किसी भी कार्यकर्ता की समस्या लंबित न रहे। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि आज की सुनवाई में करीब 150 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश तबादलों से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सुनवाई जैसे कार्यक्रम सरकार और संगठन के बीच सेतु का कार्य करते हैं और जमीनी स्तर की वास्तविक समस्याओं को सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार कार्यकर्ताओं की भूमिका को सर्वोपरि मानते हुए ऐसी सुनवाइयों के माध्यम से पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं संगठन स्तर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने और संगठन को मजबूत करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कार्यकर्ता सुनवाई में प्रदेश मंत्री नारायण मीणा भी उपस्थित रहे।

बकाया नगरीय विकास कर की वसूली के लिये टीम अलर्ट मोड पर

जयपुर। नगर निगम जयपुर के आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देशानुसार मानसरोवर जोन में नगरीय विकास कर की बकाया राशि की वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई की गई। इस क्रम में बुधवार को सिविल लाइंस जोन क्षेत्र में स्थित कुल 6 संपत्तियों पर बकाया नगरीय विकास कर की राशि की वसूली की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी, प्रशासनिक एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

कार्रवाई के दौरान संपत्तियों पर बकाया राशि जमा कराने हेतु कुर्कअ की प्रक्रिया अपनाई गई। जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम द्वारा बकायदारों पर कुर्कअ की कारवाई की गई जिसमें दो संपत्तियों पर कुर्कअ की गई तथा शेष चार प्रकरणों में वारंट/कुर्कअ से पूर्व ही समझाइश के दौरान 11 लाख 71 हजार 998 रूपये बकाया नगरीय विकास कर जमा करवाया गया।

इसके अतिरिक्त झोटवाडा, वैशाली नगर जोन में भी राजस्व शाखा द्वारा 6 सम्पत्तियों पर नगरीय विकास

■ **चार प्रकरणों में वारंट/कुर्कअ से पूर्व ही समझाइश के दौरान 11 लाख 71 हजार 998 रूपये बकाया नगरीय विकास कर जमा करवाया**

कर राशि 79 लाख 84 हजार 390 रूपये की बकाया वसूली की गई।

नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने कहा कि नगर निगम के बकाया नगरीय विकास कर की वसूली को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी समय पर नगरीय विकास कर जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कुर्कअ एवं सीज की कार्रवाई जारी रहेगी। शहर के विकास कार्यों के लिए राजस्व वसूली अत्यंत आवश्यक है।

नगर निगम जयपुर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आगामी दिनों में भी बकाया नगरीय विकास कर करदाताओं के विरुद्ध इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

जल जीवन मिशन घोटाले में जांच का दायरा सीमित क्यों

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में की जा रही जांच को सिर्फ दो फर्मों तक सीमित रखने के मामले में ईडी और राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन में हजारों करोड रुपए का घोटाला हुआ था।

इसके बावजूद भी केवल दो ठेका फर्म के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर जांच की गई है। याचिकाकर्ता ने कई अन्य लोगों व फर्म के खिलाफ भी शिकायत दी थी, लेकिन केवल दो फर्मों के अलावा अन्य की ओर से किए गए

■ **याचिकाकर्ता ने कई अन्य लोगों व फर्म के खिलाफ भी शिकायत दी थी**

फर्जीवाड़े की न तो जांच की गई और ना ही अब तक एफआईआर दर्ज की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है। ईडी की ओर से एएसजी भरत व्यास ने कहा कि ईडी ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार भी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं।

जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आरोपों का जवाब देने के लिए मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद करना तय किया है।